The National Agenda for Governance envisages construction of additional 2 million dwelling units for weaker sections every year. An Action Plan for implementation of the targets fixed under the National Agenda, which has been drawn up recently, contemplates annual addition of 7 lakhs additional units in the urban areas every year. This task could require investment of the order of Rs. 4000 crores every year. Out of this, 70% funds are expected from institutional sector, 1/3rd of which are expected to come from Housing & Urban Development Corporation Ltd. (HUDCO) and the rest from other Housing Finance Companies. The state governments, co-operative sector, NGOs and informal sector would fund the balance 30% requirement.

There would be an addition of 3.5 million urban dwelling units for the weaker sections at the end of the 9th Plan period if the targets fixed under the National Agenda were realised.

Since housing is a state subject, actual implementation of the plan lies with the State Governments. The target would be allocated among the States on the basis of parameters like the housing shortage and the demand from States. The Union Government is mainly responsible for policy formulation in this regard. The role of the Government in the Housing sector would be more as a "facilitator" than as a builder. As a broad strategy for implementing the National Agenda, the emphasis will be on the shelter needs of the poor and deprived. Government is also taking steps for legal and regulatory reforms to make housing an attractive Sector for investment. Government would involve private sector, and NRIs also in housing finance and shelter delivery.

राष्ट्रीय शहरीकरण नीति का बनाया जाना

557. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय शहरीकरण नीति बनाने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शहरीकरण समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि [illegible] संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) [illegible] से लघु और मध्यम कस्बों की संख्या [illegible] जिनके विकास के लिये समेकित लघु और मध्यम कस्बा विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान वित्तीय सहायता दी गई थी और प्रत्येक कस्बे को कितनी-कितनी धनराशि की सहायता दी गई थी और उसका ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय शहरी नीति में निवेश व्यवस्था कराने की दृष्टि से सरकार ने शहरी परिदृश्य व नीति पर राष्ट्रीय कार्यदल का गठन किया है। विशिष्ट क्षेत्रों में सिफारिशें लागू करने की दृष्टि से तीन तकनीकी दलों अर्थात् शहरी परिदृश्य तथा नीति सम्बन्धी तकनीकी दल, शहरी अवस्थापना की वित्त व्यवस्था पर तकनीकी दल और शहरी आयोजना प्रणाली पर तकनीकी दल का गठन किया गया है। शहरी आयोजना प्रणाली सम्बन्धी तकनीकी दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जबकि दो अन्य तकनीकी दलों से रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। कार्य दल की रिपोर्ट को अंतिम रूप न दे पाने के कारण राष्ट्रीय शहरी नीति तैयार करने में लगने वाले समय को विनिर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) सूचना विवरण-I पर दी गई है। (नीचे देखिए)

(ङ) 1996-97 के एवं 1997-98 के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को जारी केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे विवरण-II पर दिए गए है।

विवरण-1

राष्ट्रीय शहरी नीति के बारे में विवरण

(ग) और (घ) शहरी कार्य व रोजगार मंत्रालय ने एन.सी.यू. सिफारिशों की व्यापक जांच की है। राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आने वाले कार्य क्षेत्र उचित कार्रवाई हेतु उन्हें भेज दिए गए हैं। राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु की गई कार्यवाही निम्नानुसार है:

(i) राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना।

(ii) विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा अवस्थापना विकास के लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु हुडको में एक अलग सेवा शुरू करना।

(iii) नगर पालिका सुदृढ़ीकरण तथा विकेन्द्रीकरण के प्रोत्साहन हेतु संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 को अधिनियमित करना।

(iv) राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन और 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसरण में 10वें वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों हेतु 1000

करोड़ रुपये की सीमा तक केन्द्रीय अनुदानों का अंतरण।

(v) नेहरू रोजगार योजना, गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाओं की स्कीम, प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम जैसी स्कीमें शहरी गरीबी उन्मूलन व स्लम सुधार उपायों के रूप में आरम्भ की गई है। इन स्कीमों को मिला दिया गया है और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नाम से एक नई स्कीम शुरू की गई है।

(vi) अनुदान घटक की व्यवस्था तथा 5 लाख तक की आबादी वाले नगरों को आई.डी.एस.एम.टी. के तहत शामिल करने हेतु केन्द्र प्रवर्तित छोटे तथा मझौले कस्बों का एकीकृत विकास स्कीम के दिशा निर्देशों में संशोधन।

(vii) माडल किराया नियंत्रण अधिनियम तैयार किया गया है।

(viii) केन्द्र प्रायोजित स्कीम को मेगा शहरों में अवस्थापना विकास स्कीम कहा जाता है। यह मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद तथा बंगलौर में लागू है। यह 1993-94 में आरम्भ हुई थी और अभी भी कार्यान्वयनाधीन है।

(ix) राष्ट्रीय आवास नीति विशेष रूप से गरीबों की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में तैयार की गई है।

(x) 9वीं योजना के सन्दर्भ में बड़े/मझौले कस्बों में शहरी नीतिगत मुद्दों की दृष्टि से शहरी परिदृश्य व नीति पर एक राष्ट्रीय कार्यदल का गठन किया गया।

विवरण-II

1996-97 व 1997-98 के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	नगरों के नाम	1996-97 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता	1997-98 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता
(क)	**नई परियोजनाएं**		
1.	उदयपुर	53.00	
2.	बीकानेर	64.00	
3.	सलम्बर		9.00
4.	देशनाक		12.00
(ख)	**चालू परियोजनाएं**		
5.	नागौर	13.00	
6.	सिम्बाहेरा		17.00
7.	राजसामन्द		32.00
8.	झुनझुनु		33.00
9.	नोखा		30.00
10.	व्यासन		8.00
11.	जैसलमेर-1		21.00
	जोड़ (क + ख)	130.00	162.00